

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी  
बुधवार, 17 जून, 1998 / ज्येष्ठ 27, 1920 शक

संख्या : 408

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 12.6.1998 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको यह सतम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल को उनके अन्य समर्थकों के साथ पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रथम बैरक पुलिस थाना संसद मार्ग के सामने आज अर्थात् दिनांक 9.6.98 को अपराह्न 1.20 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 9.6.98 को अपराह्न 1.35 बजे पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

( General information relating to Legislative & other matters )  
Wednesday, June 17, 1998 / Jyaishta 27, 1920 (Saka)

No.408

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi on 12.6.98 :-

" I have the honour to inform you that Sh. Sheab Iqbal Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at 1st barricade in front of P.S. Pt. Street, New Delhi at 01.20 P.M. today i.e.09.6.98.

He was released at 01.35 P.M. from Police Station Pt. Street, New Delhi, the same day i.e.09.6.98."

P.N. GUPTA  
SECRETARY